न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 120 / 2019

1 ताराचन्द पुत्र स्व. चौथमल
2 चिरंजीलाल पुत्र स्व. चौथमल
3 भंवरलाल पुत्र स्व. चौथमल
4 मु. संतरा पुत्री स्ब. चौथमल
5 मु. माया पुत्री स्व. चौथमल
6 यादराम पुत्र स्व. प्रभुदयाल
7 विजय पुत्र स्व. प्रभुदयाल
8 प्रमोद पुत्र स्व. प्रभुदयाल
9 अजय पुत्र स्व. प्रभुदयाल
10 प्रेम पुत्री स्व. प्रभुदयाल
11 ममता पुत्री स्व. प्रभुदयाल
12 मु. प्रेम पत्नी स्व. किशोर
13 रवि पुत्र स्व. किशोर
14 मिन्नू पुत्री स्व. किशोर
15 मुन्नी देवी पत्नी स्व. काशीराम
16 पंकज पुत्र स्व. काशीराम
17 अलका पुत्री स्व. काशीराम
18 मधु पुत्री स्व. काशीराम
19 टीना पुत्री स्व. काशीराम
जाति समस्त खटीक निवासीगण सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
20 मु. ग्यारसी पत्नी स्व. श्रीराम
21 ममता पुत्री स्व. श्रीराम
22 लाली पुत्री स्व. श्रीराम
23 अटल बिहारी पुत्र स्व. श्रीराम
24 रोहित पुत्र स्व. श्रीराम
25 विद्याधर पुत्र सेडूराम एवं पारा देवी
26 मु. पूर्णी पत्नी स्व. हीरालाल
27 मु. रेखा पुत्री हीरालाल
28 धोली पुत्रियां सेडूराम एवं पारा देवी
29 मुन्नी पुत्री सेडूराम एवं पारा देवी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाति समस्त खटीक निवासीगण रोड़ नम्बर 3 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 जयप्रकाश पुत्र सादीराम तथाकथित दत्तक पुत्र मूलाराम जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 10 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सादीराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 10 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
3 गोरूराम पुत्र स्व शंकर
4 महावीर पुत्र स्व. शंकर
5 जयकरण पुत्र स्व. शंकर
6 महेश पुत्र स्व. शंकर
7 कैलाश पुत्र स्व. शंकर
8 छोटु पुत्र स्व. शंकर
9 शीशराम पत्र स्व. भगवाना
10 सज्जन पुत्र स्व. भगवाना
11 धर्मपाल पुत्र स्व. मक्खन
12 नरेश पुत्र स्व. मक्खन
13 सुरेश पुत्र स्व. मक्खन
14 मिश्री पुत्री स्व. मक्खन
15 फुली देवी पुत्री स्व. मक्खन
जाति समस्त गुर्जर निवासीगण नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
16 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ.धारा 223 आर.टी.एक्ट. 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. दावा
उनवानी मु. छोटी वगै. बनाम गोरूराम आदि दावा
बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
दावा सं. 52/1999 निर्णय दिनांक 15.07.1999
एवं डिक्री दिनांक 03.08.1999

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार मीणा , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 52/1999 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.1999 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 138 हाल खसरा नम्बर 312 रकबा 1.09 हैक्टेयर सरहद मौजा नौरंगपुरा तहत तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं के बाबत विचारण न्यायालय के यहां स्व. छोटी देवी एवं रेस्पोडेंन्ट सं. 1 जयप्रकाश ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 स्व केशरी तथा स्व. भगवानाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 16 के विरूद्ध दावा पेश किया। उक्त दावा को विचारण न्यायालय ने बहक स्व. छोटी देवी दिनांक 15.07.1989 को निर्णित कर दिनांक 03.08.1999 को डिक्री कर जमीन हाल खसरा नम्बर 312 रकबा 1.09 हैक्टेयर राजस्व मौजा नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी की खातेदार स्व. छोटी देवी को घोषित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मूलाराम पुत्र जीवणराम खटीक निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं के वारिसान अपीलान्टस व स्व. मालाराम व स्व. छोटी देवी हुये। उपरोक्त वारिसान को छिपाकर विचारण न्यायालय के यहां दावा प्रस्तुत कर दावे में ग़लत तथ्य दर्ज कर दावा का निर्णित व डिक्री करवाया गया जो खारिज होने योग्य है। दावा में विचारण न्यायालय के समक्ष दावा की वादिया श्रीमती छोटी देवी को मूला पुत्र जीवण खटीक की पत्नी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसका पुत्र गलत रूप से दर्ज किया गया। स्व. छोटी देवी मूला पुत्र जीवण की पत्नी नहीं रही बल्कि पुत्रवधु रही है। दावा में वादीगण ने बदनियति से मूला उर्फ माला दर्ज किया है। मूलाराम ने दावा के वादी संख्या 2 अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी भी गोद नहीं लिया क्योंकि मूला पुत्र जीवण खटीक के दो पुत्र संतान मालाराम व चौथमल पैदा हुये। छोटी देवी की मृत्य दिनांक 07.10.2019 को हुई। छोटी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसके पति का नाम मालाराम दर्ज है। चौथमल की मृत्यु दिनांक 14.08.1978 को हुई जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र में उसके पिता का नाम मूलाराम दर्ज है। वादिया छोटी देवी के पति ने तत्कालीन सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी कैम्प कांकरिया को विवादित जमीन के बाबत एक प्रार्थना पत्र तैयार किया जिस पर उसकी वल्दियत मूलाराम दर्ज है। निर्वाचक नामावली दिनांकित 17.05.1971 में वादिया के पति का नाम माला दर्ज है। वादिया छोटी देवी को श्रीमती सुवा देवी के नाम से भी जाना जाता था और ग्राम पंचायत सेफरागुवार के पत्र दिनांक 15.05. 1999 में वादिया के पति का नाम मालाराम दर्ज है। वादिया के पति मालाराम ने दिनांक 16.11.1978 को तहसीलदर खेतड़ी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें उसका नाम मालाराम पुत्र मूलाराम जाति खटीक दर्ज है। तहसील खेतड़ी के द्वारा जारी नोटिस अ.धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 दिनांक 07.08.1969 में माला पुत्र मूलाराम खटीक दर्ज है। वादिया के जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.02.2005 में पति का नाम मालाराम दर्ज है। वादिया छोटी देवी उर्फ सुवा देवी के पति के तत्कालीन उप जिलाधीश व नायब तहसीलदार खेतड़ व एस.डी.ओ. खेतड़ी को कमशः प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.1975, 16.10.1975, 22.11.1976 प्रस्तुत किये जिसमें उसका पता मालाराम पुत्र मूलाराम तथा मालाराम पुत्र मूलचन्द दर्ज है। वादिया ने अजमेर विद्युत वितरण निगर लिमिटेड के यहां से

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्युत संबंध स्थापित करवाया उसमें अपने पति का नाम मालाराम दर्ज किया है। वादिया छोटी देवी उर्फ सुवा देवी के बी.पी.एल. श्रेणी के उसके घर के आगे के नाम के सामने उसके पति का नाम मालाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत की रसीद दिनांक 01.10.1974 में वादिया छोटी देवी के पति का नाम मालाराम पुत्र मूलाराम दर्ज है। केन्द्रीय सहकारी बैंक व डाकघर बचत बैंक व कृष्ण गौशाला तथा भामाशाह के दस्तावेजात में वादिया छोटी देवी के पति का न ाम मालाराम तथा मालाराम के पिता का नाम मूलाराम दर्ज है। इस प्रकार यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दावें की वादिया छोटी देवी उर्फ सुवा देवी के पति का नाम मालाराम व ससुर का नाम मूलाराम रहा है और दावे में गलत रूप से वादिया ने अपने आप को मूलाराम की पत्नी बताकर दावा को निर्णित व डिक्री करवाया है जो गलत है। मूलाराम पुत्र जीवण जाति खटीक का गौत्र 'खन्ना' है। विवादित ज्मीन का टिनेन्ट पहले मूलाराम पुत्र जीवण कौम खटीक निवासी सेफरागुवार रहा और उत्तराधिकार में उक्त आराजी उसके पुत्र मालाराम, चौथमल व पुत्री पारा देवी को प्राप्त हुई और प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा हुआ तथा उपरोक्त हक हिस्सा उत्तराधिकार में उनके वारिसान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विवादित जमीन की खातेदार काश्तकार अकेली छोटी देवी घोषित होने की हकदार नहीं थी। विचारण न्यायालय ने दावें के वादीगण की बिना सशपथ साक्ष्य लिये व बिना दस्तोवजी साक्ष्य को प्रदर्शित करवाये ही निर्णय व डिक्री पारित कर तथ्य व विधि की भुल की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। जमीन जैर बहस में अपीलान्टस का हक हिस्सा व खातेदारी है। अपीलान्टस का जमीन पर कब्जा काश्त है। अपीलान्टस को जमीन जैर बहस में टिनेन्सी राईटस उत्तराधिकार में प्राप्त हुये है। अपीलान्टस व उनके पूर्वजों को बिना पक्षकार बनाये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करवाई गई है। अपीलान्टस निर्णय व डिक्री जैर बहस से प्रभावित है। इस प्रकार अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत करने का हक है। इजाजत हेतु अलग से दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश है। अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.1999 व डिक्री दिनांक 03.08.1999 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावें कि अपीलान्ट को दावें में पक्षकार बनाया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1992 सी पेज 17, आरआरडी 1994 बी पेज 77, डीएनजे 2018 एससी पेज 618, आरबीजे 2024 एससी पेज 37, आरआरटी 2023(1) पेज 375 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय दिनांक 15.07.1999 को पारित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा धारा 96 एवं धारा 5 के आवेदन के साथ 20 वर्ष के असाधारण विलम्ब से दिनांक 11.12.2019 को अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट मूल खातेदार मूला पुत्र जीवण के फुटस्टेप पर मूला के पुत्र चौथमल के वारिस होने के आधार पर अपील लेकर आए है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलान्ट के पिता चौथमल के नाम कभी भी विवादित भूमि की खातेदारी नहीं रही है। विचाराधीन निर्णय को अपीलान्ट के पिता ने कभी भी चुनौती नहीं दी है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। 20 साल के असाधारण विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5, धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाते है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सेफरागुवार, प्रार्थना पत्र मालाराम, निर्वाचक नामावली डायरी, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दिनांक 15.05.1999, प्रार्थना पत्र मालाराम दिनांक 16.11.1978, नोटिस अ.धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम, जाति प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र मालाराम, प्रार्थना पत्र मालाराम दिनांक 17.04.1975, प्रार्थना पत्र मालाराम दिनांक 16.10.1975, प्रार्थना पत्र मालाराम दिनांक 22. 11.1976, विद्युत बिल, जमाबन्दी संवत 2076–2079, फोटो रंगीन, रसीद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 01.10.1974, पत्र उपकोषाधिकारी, प्रार्थना पत्र मूला, कार्ड भामाशाह, रसीद कृष्ण गौशाला, पासबुक डाकघर, पासबुक बैंक, नकल दान पत्र बहक सादीराम दिनांक 04.06.2019 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट मूल खातेदार मूला पुत्र जीवण के पुत्र चौथमल के वारिसान होना प्रकट होता है।

विचारण न्यायालय में वादी द्वारा मूला पुत्र जीवण की एकमात्र वारिस बनकर विचाराधीन डिक्री प्राप्त की गई है। मूला पुत्र जीवण की विरासत के आधार पर अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होना प्रकट है। अपीलान्ट को विचारण न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचाराधीन निर्णय की अपीलान्ट को पूर्व से जानकारी होने का तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है। विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट के विरासतन हक प्रभावित होना प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर